कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	569.88	1099.84	1669.72	361.00	1100.00	1461.00	556.36	800.00	1356.36	745.10	700.00	1445.10
वसूलियां	...	*-1099.84*	-1099.84	...	*-1100.00*	*-1100.00*	...	*-800.00*	*-800.00*	...	*-700.00*	*-700.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**569.88**	**...**	**569.88**	**361.00**	**...**	**361.00**	**556.36**	**...**	**556.36**	**745.10**	**...**	**745.10**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	16.93	...	16.93	23.41	...	23.41	22.24	...	22.24	23.50	...	23.50
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	11.35	...	11.35	14.59	...	14.59	13.12	...	13.12	13.60	...	13.60
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**28.28**	**...**	**28.28**	**38.00**	**...**	**38.00**	**35.36**	**...**	**35.36**	**37.10**	**...**	**37.10**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कोयला और लिग्नाइट												
3. अनुसंधान और विकास	18.00	...	18.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	245.00	...	245.00	150.50	...	150.50	350.50	...	350.50	500.00	...	500.00
5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण	256.25	...	256.25	139.50	...	139.50	139.50	...	139.50	175.00	...	175.00
6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम												
6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	1099.84	1099.84	...	1100.00	1100.00	...	800.00	800.00	...	700.00	700.00
6.02 सीबीए कोष से वित्तपोषित व्यय की कटौती	...	-1099.84	-1099.84	...	-1100.00	-1100.00	...	-800.00	-800.00	...	-700.00	-700.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	**519.25**	**...**	**519.25**	**300.00**	**...**	**300.00**	**500.00**	**...**	**500.00**	**685.00**	**...**	**685.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**519.25**	**...**	**519.25**	**300.00**	**...**	**300.00**	**500.00**	**...**	**500.00**	**685.00**	**...**	**685.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. कोयला खान पेंशन योजना	22.35	...	22.35	23.00	...	23.00	21.00	...	21.00	23.00	...	23.00
कुल जोड़	***569.88***	***...***	***569.88***	***361.00***	***...***	***361.00***	***556.36***	***...***	***556.36***	***745.10***	***...***	***745.10***
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम और रोजगार	22.35	...	22.35	23.00	...	23.00	21.00	...	21.00	23.00	...	23.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**22.35**	**...**	**22.35**	**23.00**	**...**	**23.00**	**21.00**	**...**	**21.00**	**23.00**	**...**	**23.00**
आर्थिक सेवाएं												
2. कोयला और लिग्नाइट	530.60	...	530.60	299.59	...	299.59	498.12	...	498.12	680.05	...	680.05
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	16.93	...	16.93	23.41	...	23.41	22.24	...	22.24	23.50	...	23.50
4. कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**547.53**	**...**	**547.53**	**323.00**	**...**	**323.00**	**520.36**	**...**	**520.36**	**703.55**	**...**	**703.55**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	18.55	...	18.55
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**15.00**	**...**	**15.00**	**15.00**	**...**	**15.00**	**18.55**	**...**	**18.55**
कुल जोड़	**569.88**	**...**	**569.88**	**361.00**	**...**	**361.00**	**556.36**	**...**	**556.36**	**745.10**	**...**	**745.10**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	...	1666.04	1666.04	...	6278.92	6278.92	...	9437.96	9437.96	...	8948.12	8948.12
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	6123.03	6123.03	...	7765.00	7765.00	...	7765.00	7765.00	...	8000.00	8000.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड	...	2820.22	2820.22	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	1600.00	1600.00
जोड़	**...**	**10609.29**	**10609.29**	**...**	**16343.92**	**16343.92**	**...**	**19502.96**	**19502.96**	**...**	**18548.12**	**18548.12**

1. **सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान कोयला नियंत्रण कार्यालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।

3. **अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।

4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** कोलफील्ड क्षेत्रों में कोयले की निकासी तक सड़क एवं रेल परिवहन अवसंरचना विकास के पश्चात खानों के स्थिर करने के लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग तथा कोकिंग कोयले पर 10 रूपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर व्यय को पूरा किया जाता है। इसमें कोयला क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसान नियंत्रण सहित पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने के लिए भी प्रावधान है।

5. **कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम में कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

6. **कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम:** यह प्रावधान कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु है।

7. **कोयला खान पेंशन योजना:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 में लागू की गई है। इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था प्रत्येक कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1-6 % के अंशदान द्वारा की जाती हैं। केन्द्र सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा तक कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1-2/3% की दर से अंशदान करती है। इस योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।